# न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर
# बइजलास दिव्या RAS
# वादपत्र सं. 02/2025
# अनुवान रामकुमार आदि बनाम हीरालाल आदि
# दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955
# एवं धारा 131, 136 राज.भू.रा. अधि 1956
# निर्णय दिनांक 31/01/25

1. रामकुमार पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी मालकसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू राजस्थान
2. मीतादेवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी मालकसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू राजस्थान

—वादीगण

बनाम्

1. हीरालाल पुत्र किशनलाल
2. संतोषदेवी पत्नी हीरालाल

} जाति जाट निवासी मालकसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू राजस्थान

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भानीपुरा जिला चूरू

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति —

1. श्री महेन्द्र कुमार सींवर, आदेश सींवर एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. श्री ओमप्रकाश बेनीवाल एडवोकेट प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं0 3

## निर्णय

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का विवरण इस प्रकार से है कि वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 1 के पिता तथा वादीनी सं0 2 व प्रतिवादीनी सं0 2 के ससुर स्व0 किशनलाल पुत्र कोडूराम के नाम की खातेदारी कृषि भूमि गत ख0 नं0 515/14 तादादी 36 बीघा 16 बिश्वा रोही मौजा मालकसर तहसील सरदारशहर में स्थित थी। जिन्होंने अपने नाम की उक्त कृषि भूमि में से उतरादे पासे 10 बीघा कृषि भूमि का बैनामा दिनांक 02.02.1994 को उपपंजीयक सरदारशहर के समक्ष वादी सं0 1 के नाम निष्पादित करवा दिया था और उक्त भूमि के उतरादे पास का कब्जा काश्त वादी सं0 1 को सौंप दिया था। उक्त कृषि भूमि के नामान्तरण सं0 381 दिनांक 07.02.1994 में वादी सं0 1 के हक में उतरादे पासे की भूमि तथा उसके स्व0 पिता किशनलाल के हक में दिखणादे पासे की भूमि रखी जाकर नामान्तरण की पुश्त पर नक्शा अंकित किया गया था। जिस पर खरीद की दिनांक से वादी सं0 1 काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसके पश्चात वादी सं0 1 ने अपने हिस्से की उतरादे पासे की भूमि में से 2 बीघा भूमि का बैनामा दिनांक 14.09.2016 को उपपंजीयक कार्यालय भानीपुरा में अपनी पत्नी वादीनी सं0 2 के नाम करवा दिया था। जिसके पश्चात से वादीगण वादगत कृषि भूमि गत ख0 नं0 515/14 के उतरादे पासे की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड को कम्प्यूटराईज

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

करके ऑनलाईन किया गया है जिसमें नये खसरा नम्बर व नक्शों में अपडेशन किया गया है। उक्त अपडेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहबन से रही भूलवश वादीगण के नाम की उतरादे पासे कृषि भूमि ख0 नं0 515/14 मीन तादादी 10 बीघा का नया खसरा नं0 21 कायम करते हुए उक्त भूमि स्व0 किशनलाल के वारिसान वादी सं0 1 सहित प्रतिवादी सं0 1 तथा स्व0 किशनलाल के वारिसान महावीरप्रसाद, ओमप्रकाश, रणवीर, शिशराम, लिछमा के नाम दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी तथा दिखणादे पासे की कृषि भूमि का ख0 नं0 22 कायम करते हुए उक्त भूमि सहबन से रही भूलवश वादीगण के नाम दर्ज कर दी गई है। जबकि ख0 नं0 22 की भूमि प्रतिवादी सं0 1 सहित स्व0 किशनलाल के वारिसान महावीरप्रसाद, रणवीर, शिशराम, लिछमा के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी। इस प्रकार उतरादे पासे भूमि ख0 नं0 21 की भूमि वादीगण के नाम तथा ख0 नं0 22 की भूमि स्व0 किशनलाल के वारिसान प्रतिवादी सं0 1 सहित स्व0 किशनलाल के वारिसान महावीरप्रसाद, ओमप्रकाश, रणवीर, शिशराम, लिछमा के नाम दर्ज होनी थी। उसके पश्चात वादी सं0 1 एवं प्रतिवादी सं0 1 तथा सह खातेदार महावीरप्रसाद, ओमप्रकाश, रणवीर, शिशराम, लिछमा ने ख0नं0 21 रकबा 6.7800 हैक्टेयर तथा ख0नं0 235 रकबा 8.5600 हैक्टेयर, ख0नं0 678 रकबा 14.8800 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 30.2200 हैक्टेयर रोही मालकसर तहसील भानीपुरा का सहमति से खाता विभाजन करवा लिया जिसका नामान्तरण सं0 188 दिनांक 10.03.2021 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। मुताबिक विभाजन वादी सं0 1 के हिस्से की कृषि भूमि के नये ख0नं0 948/21 रकबा 2.1300 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से की कृषि भूमि के नये ख0नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर कायम हुए। उसके पश्चात वादी सं0 1 ने वादी सं0 2 के हक में अपने नाम की कृषि भूमि में से 3794/11625 हिस्सा भूमि विक्रय कर दी। जिसका नामान्तरण सं0 191 दिनांक 05.04.2021 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। वादीगण का वादगत कृषि भूमि के अन्य पूर्व सहखातेदार महावीरप्रसाद, ओमप्रकाश, रणवीर, शिशराम, लिछमा के साथ कोई विवाद नहीं होने से उन्हें पक्षकार वाद संयोजित नहीं किया गया है तथा सहमति से हुए विभाजन को लेकर भी कोई विवाद नहीं है। विभाजन में उतरादे पासे की भूमि बंटवारा में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है इसलिए उन्हें पक्षकार वाद संयोजित कर दावा पेश किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि ख0 नं0 948/21 व 949/21 तथा 22 कायम करने पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में हिस्सा तरमीम था। लेकिन वर्तमान में बन्दोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के ऑनलाईन अपडेशन के दौरान वादगत कृषि भूमि ख0 नं0 948/21 व 949/21 तथा 22 के नक्शा किश्तवार में सहबन से लिपिकीय त्रुटिवश वादीगण का उतरादे पासे का हिस्सा ख0 नं0 21 हाल ख0नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम गलत रूप से दर्ज है। इसी प्रकार वादगत कृषि भूमि का दिखणादे पासे का हिस्सा वर्तमान ख0 नं0 22 रकबा 2.5300 हैक्टेयर वादीगण के नाम जिसे प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की कृषि भूमि ख0नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर के नक्शे के स्थान पर तरमीम किया जाना न्यायसंगत है क्योंकि उक्त इसके चिपती उतरी तरफ की भूमि ख0नं0 948/21 रकबा 2.1300 हैक्टेयर वादी सं0 1 की कृषि भूमि है। वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 व 2 की भूमि ख0नं0 949/21 वादी सं0 1 की भूमि ख0नं0 948/21 व वादीगण की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 22 के मध्य में स्थित है। जबकि वादी सं0 1 के नाम की कृषि भूमि ख0नं0 948/21 के

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

दक्षिणी तरफ वादीगण की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 22 तरमीम की जानी चाहिये थी और प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 949/21 को दक्षिणी तरफ तरमीम किया जाना चाहिये था। इसी प्रकार पक्षकारान वाद का वादगत कृषि भूमियों पर कब्जा काश्त है। जबकि वादगत कृषि भूमियों को मौका की कब्जा काश्त के विपरित गलत रूप से दर्ज करते हुए नक्शा में त्रुटिवश गलत तरमीम कर दिया गया। इसलिए वादीगण को कानूनन अधिकार हासिल है कि वादगत कृषि भूमियों में के अपने खातेदारी हिस्से के मुताबिक अपने अधिकारों की घोषणा अदालतवाला से करवाकर नक्शा किश्तवार में सहबन से हुए लिपिकीय त्रुटिवश की गई गलत तरमीम को मौके की कब्जा काश्त के अनुसार नक्शा किश्तवार में हुई गलती को दुरूस्त करवाकर दर्ज करवाये। जिस हेतु यह वाद अदालतवाला के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी कृषि पेशा व्यक्ति होने से वादीगण को नक्शा किश्तवार में मौके की कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम नहीं होने का कोई ईल्म नहीं हुआ और मौके की कब्जा काश्त के अनुसार ही नक्शा तरमीम होना मानते हुए वादीगण काश्त करते रहे, अब वादीगण ने वादगत कृषि भूमि के नक्शा किश्तवार की प्रतियां हासिल की तो वादीगण को गलत तरमीम बाबत ईल्म हुआ जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी सं0 3 तहसीलदार के समक्ष उक्त त्रुटि को संशोधित करने का निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा दुरूस्ती नहीं करते हुए न्यायालय के मार्फत दुरूस्त करवाने की सलाह दी जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को साथ चलकर गलत तरमीम को दूरूस्त करवाने का कहा एवं कहलवाया तो प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने तरमीम गलत होना स्वीकारते हुए भी साथ चलकर दूरूस्ती करवाने से बमुकाम मालकसर दिनांक 20.12.2024 को साफ इनकार कर दिया लिहाजा यही तिथि बिनाए मुखास्मत दावा हाजा है एवं बिनाए दावा वादीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होने से हर समय हासिल है। दावा में घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दूरूस्ती का अनुतोष चाहने से बतौर भूस्वामी प्रतिवादी सं0 3 आवश्यक पक्षकार वाद होने से बतौर प्रतिवादी वाद पक्षकार संयोजित किया गया है। लेकिन उनके हितों के प्रतिकूल कोई अनुतोष नहीं चाहने से प्रतिवादी सं0 3 को दफा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं होने से बिना 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिए ही दावा हाजा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि रोही मालकसर तहसील भानीपुरा में स्थित होने से दावा हाजा को सुनवाई क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान् को हासिल है। वाद वादीगण उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है। वादीगण ने दावा में अनुतोष चाहा कि घोषित किया जावे कि वादीगण की सहखातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 22 रकबा 2.5300 हैक्टेयर रोही मालकसर तहसील भानीपुरा को उतरी दिशा की तरफ प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर रोही मालकसर तहसील भानीपुरा के नक्शा के स्थान पर तरमीम किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर को वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 22 रकबा 2.5300 हैक्टेयर के स्थान पर तरमीम किया जावे। खसरा नम्बर एवं रकबा यथावत रखते हुए नक्शो का स्थान परिवर्तन किया जावे। यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से दिलवाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादीगण हो अथवा हो जावे वो भी प्रदान किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 2 की ओर से श्री ओमप्रकाश बेनीवाल विद्वान अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

दक्षिणी तरफ वादीगण की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 22 तरमीम की जानी चाहिये थी और प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 949/21 को दक्षिणी तरफ तरमीम किया जाना चाहिये था। इसी प्रकार पक्षकारान वाद का वादगत कृषि भूमियों पर कब्जा काश्त है। जबकि वादगत कृषि भूमियों को मौका की कब्जा काश्त के विपरित गलत रूप से दर्ज करते हुए नक्शा में त्रुटिवश गलत तरमीम कर दिया गया। इसलिए वादीगण को कानूनन अधिकार हासिल है कि वादगत कृषि भूमियों में के अपने खातेदारी हिस्से के मुताबिक अपने अधिकारों की घोषणा अदालतवाला से करवाकर नक्शा किश्तवार में सहबन से हुए लिपिकीय त्रुटिवश की गई गलत तरमीम को मौके की कब्जा काश्त के अनुसार नक्शा किश्तवार में हुई गलती को दुरूस्त करवाकर दर्ज करवाये। जिस हेतु यह वाद अदालतवाला के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी कृषि पेशा व्यक्ति होने से वादीगण को नक्शा किश्तवार में मौके की कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम नहीं होने का कोई ईल्म नहीं हुआ और मौके की कब्जा काश्त के अनुसार ही नक्शा तरमीम होना मानते हुए वादीगण काश्त करते रहे, अब वादीगण ने वादगत कृषि भूमि के नक्शा किश्तवार की प्रतियां हासिल की तो वादीगण को गलत तरमीम बाबत ईल्म हुआ जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी सं0 3 तहसीलदार के समक्ष उक्त त्रुटि को संशोधित करने का निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा दुरूस्ती नहीं करते हुए न्यायालय के मार्फत दुरूस्त करवाने की सलाह दी जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को साथ चलकर गलत तरमीम को दूरूस्त करवाने का कहा एवं कहलवाया तो प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने तरमीम गलत होना स्वीकारते हुए भी साथ चलकर दूरूस्ती करवाने से बमुकाम मालकसर दिनांक 20.12.2024 को साफ इनकार कर दिया लिहाजा यही तिथि बिनाए मुखास्मत दावा हाजा है एवं बिनाए दावा वादीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होने से हर समय हासिल है। दावा में घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दूरूस्ती का अनुतोष चाहने से बतौर भूस्वामी प्रतिवादी सं0 3 आवश्यक पक्षकार वाद होने से बतौर प्रतिवादी वाद पक्षकार संयोजित किया गया है। लेकिन उनके हितों के प्रतिकूल कोई अनुतोष नहीं चाहने से प्रतिवादी सं0 3 को दफा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं होने से बिना 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिए ही दावा हाजा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि रोही मालकसर तहसील भानीपुरा में स्थित होने से दावा हाजा को सुनवाई क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान् को हासिल है। वाद वादीगण उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है। वादीगण ने दावा में अनुतोष चाहा कि घोषित किया जावे कि वादीगण की सहखातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 22 रकबा 2.5300 हैक्टेयर रोही मालकसर तहसील भानीपुरा को उतरी दिशा की तरफ प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर रोही मालकसर तहसील भानीपुरा के नक्शा के स्थान पर तरमीम किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर को वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 22 रकबा 2.5300 हैक्टेयर के स्थान पर तरमीम किया जावे। खसरा नम्बर एवं रकबा यथावत रखते हुए नक्शो का स्थान परिवर्तन किया जावे। यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से दिलवाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादीगण हो अथवा हो जावे वो भी प्रदान किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 2 की ओर से श्री ओमप्रकाश बेनीवाल विद्वान अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

इकबाल जबाब दावा पेशकर वादीगण के तथ्यों का समर्थन करते हुए स्वयं के नक्शा को अनुतोष की मद 'क' के अनुसार दूरूस्त करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी सं0 3 पैरोकार राज के विरूद्ध वादीगण ने कोई प्रतिकूल अनुतोष नहीं चाहा। वादीगण के खेत का नक्शा दुरूस्त होने से राज्य के हितों पर कोई विपरित असर नहीं पडेगा। प्रतिवादी सं0 3 द्वारा जबाव दावा पेश नहीं करने पर प्रतिवादी सं0 3 का जबाब दावा बन्द किया गया। वादीगण के दावा का कोई खण्डन नहीं होने पर तनकी विरचित नहीं की गई। वादीगण ने साक्ष्य पेश नहीं कर बहस की इस्तदुआ चाही।

बहस वादीगण सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने दौराने बहस दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय का ध्यान दावा के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व अभिलेख की ओर दिलाया गया कि वादी सं0 1 ने अपने पिता से 10 बीघा कृषि भूमि उतरादे पासे की खरीद की थी। जिसका नामान्तरण सं0 381 दिनांक 07.02.1994 दर्ज हुआ जिसमें उतरादे पासे का अंकन किया गया तथा इंतकाल की पुश्त पर नजरी नक्शा प्रदर्शित किया गया जिसमें वादी सं0 1 की खरीदशुदा भूमि को उतरादे पासे तथा वादी के पिता की शेष भूमि को दिखणादे पासे प्रदर्शित किया गया। उसके पश्चात वादी सं0 1 ने उतरादे पासे की भूमि पर कब्जा काश्त करना शुरू कर दिया और उसके पश्चात उतरादे पासे की 2 बीघा भूमि अपनी पत्नी वादी सं0 2 को विक्रय कर दी। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड को कम्प्यूटराईज्ड कर ऑनलाईन किया गया जिसमें नये खसरा नम्बर एवं नक्शों में अपडेशन किया गया। वादीगण के उतरादे पासे की भूमि के ख0नं0 515/14 के नये ख0नं0 21 कायम किये गये तथा प्रतिवादी सं0 1 व अन्य सहहिस्सेदारो की भूमि के ख0नं0 22 कायम किये गये, दिखणादे पासे की भूमि के सह खातेदारों ने अपनी सह खातेदारी भूमि का सहमति से विभाजन करवा लिया। जिसका नामान्तरण सं0 188 राजस्व रिकॉर्ड में कायम हुआ। बाद विभाजन वादी सं0 1 के हिस्से की भूमि के नये ख0नं0 948/21 तथा प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से की कृषि भूमि के नये ख0नं0 949/21 कायम किये गये। उसके पश्चात प्रतिवादी सं0 1 ने अपने हिस्से की भूमि में से 3794/11625 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 2 अपनी पत्नी को विक्रय कर दी। वादगत कृषि भूमि के अन्य सह खातेदारों के हिस्से में दूसरी भूमि आई उनके साथ कोई विवाद नहीं होने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादगत कृषि भूमि ख0नं0 948/21, 949/21 तथा 22 के नक्शा किश्तवार में सहबन से लिपिकीय व त्रुटिवश वादीगण का उतरादे पासे का हिस्सा ख0नं0 21 हाल 949/21 प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया तथा दिखणादे पासे का हिस्सा ख0नं0 22 वादीगण के नाम जिसे प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की कृषि भूमि ख0नं0 949/21 के नक्शे के स्थान पर तरमीम किया जाना न्यायसंगत है। क्योंकि उक्त खसरे के चिपते उतरी तरफ की भूमि ख0नं0 948/21 वादी सं0 1 की भूमि है। वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 व 2 की भूमि ख0नं0 949/21 वादी सं0 1 की भूमि ख0 नं0 948/21 व वादीगण की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 22 के मध्य स्थित है। जबकि वादी सं0 1 के नाम की कृषि भूमि ख0नं0 948/21 के दक्षिणी तरफ वादीगण की सहखातेदारी कृषि भूमि ख0नं. 22 तरमीम की जानी चाहिये थी और प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 949/21 को दक्षिणी तरफ तरमीम किया जाना चाहिये था इसी प्रकार पक्षकारान वाद का कब्जा काश्त है लेकिन रिकॉर्ड व मौके की कब्जा काश्त के विपरित नक्शा में त्रुटिवश गलत तरमीम कर दिया गया है। वादीगण की सहखातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 22 रकबा 2.5300 हैक्टेयर रोही मालकसर तहसील भानीपुरा को उतरी दिशा की तरफ प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर रोही

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

मालकसर तहसील भानीपुरा के नक्शा के स्थान पर तरमीम किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर को वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 22 रकबा 2.5300 हैक्टेयर के स्थान पर तरमीम किया जावे। खसरा नम्बर एवं रकबा यथावत रखते हुए नक्शो का स्थान परिवर्तन किया जावे। वादीगण का वाद पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व वादीगण के तथ्यों का खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है। प्रकरण के विचारण में यह तथ्य उभर कर आया कि पक्षकारान वाद के खेत का नक्शा को मौके व कब्जा काश्त के विपरित तरमीम किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने भी वादीगण के तथ्यों का समर्थन किया और इसी अनुसार अपनी कृषि भूमि को तरमीम करने की इस्तदुआ चाही। वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रहे है।

वकील वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया कि वादीगण की सहखातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 22 रकबा 2.5300 हैक्टेयर रोही मालकसर तहसील भानीपुरा को उतरी दिशा की तरफ प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर रोही मालकसर तहसील भानीपुरा के नक्शा के स्थान पर तरमीम किया जाना तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर को वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 22 रकबा 2.5300 हैक्टेयर के स्थान पर तरमीम किया जाना खसरा नम्बर एवं रकबा यथावत रखते हुए नक्शो का स्थान परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत है। फलस्वरूप वादीगण वादगत कृषि भूमि के उपर वर्णित खसरों के नक्शों को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

## आदेश

वाद वादीगण पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि वादीगण की सहखातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 22 रकबा 2.5300 हैक्टेयर रोही मालकसर तहसील भानीपुरा को उतरी दिशा की तरफ प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर रोही मालकसर तहसील भानीपुरा के नक्शा के स्थान पर तरमीम किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर को वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 22 रकबा 2.5300 हैक्टेयर के स्थान पर तरमीम किया जावे। खसरा नम्बर एवं रकबा यथावत रखते हुए नक्शो का स्थान परिवर्तन किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(दिव्या) RAS
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 31/01/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या) RAS
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

# डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल–47 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

**बइजलास सुश्री दिव्या RAS**

**वादपत्र सं. 02/2025**

**अनुवान रामकुमार आदि बनाम हीरालाल आदि**

**दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0का0अधि0 1955**

**एवं धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालकतई रू ब रू .....उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर

हाजरी **महेन्द्र कुमार सीवंर, आदेश सींवर,** मिनजानिब मुद्दई **ओमप्रकाश बेनीवाल, तहसीलदार भानीपुरा**

.....मिनजानिबमुद्दायल पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण की सहखातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 22 रकबा 2.5300 हैक्टेयर रोही मालकसर तहसील भानीपुरा को उतरी दिशा की तरफ प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर रोही मालकसर तहसील भानीपुरा के नक्शा के स्थान पर तरमीम किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 949/21 रकबा 4.6500 हैक्टेयर को वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 22 रकबा 2.5300 हैक्टेयर के स्थान पर तरमीम किया जावे। खसरा नम्बर एवं रकबा यथावत रखते हुए नक्शो का स्थान परिवर्तन किया जावे।

.....बीज .....मुबलिग .....

बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....

.....फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल नगदी रू.....

.....का अदा करें।

मेरे दस्तखत मुहर अदालत से आज तारीख 31 माह 01/2025 को जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

मुहर

| मुद्दई | रूपया | पै. | मुद्दायलाह | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा ..... | 04 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा ..... | 04 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा ..... | 01 | 00 | स्टाम्प अर्जी ..... | 00 | 00 |
| स्टाम्प वजह सबूत ..... | 00 | 00 | महनताना वकील ..... | 00 | 00 |
| महनताना वकील ..... | 00 | 00 | खर्चा गवाहान ..... | 00 | 00 |
| खर्चा गवाहान ..... | 00 | 00 | फीस कमिश्नर ..... | 00 | 00 |
| फीस कमिश्नर ..... | 00 | 00 | बाबत इजराय हुक्मनामा ..... | 00 | 00 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा ..... | 00 | 00 | मुतफर्रिक ..... | | |
| मुतफर्रिक ..... | 02 | 00 | | | |
| मीजान ..... | 07 | 00 | मीजान ..... | 04 | 00 |

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म दर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया दो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।